

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 27-11-15

विषय :- मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-25-भवन/गोदाम एवं कार्यालय निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य (जल संरक्षण), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 44 लघु निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50P470200796250544 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50-लघु सिंचाई विभाग / 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 25-भवन/गोदाम एवं कार्यालय निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य (जल संरक्षण)	05-निर्माण 44 लघु निर्माण कार्य / 50P470200796250544	25.00

आवंटित राशि - ₹ पच्चीस लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2015-16 के बजट उपबंध रु. 40.00 लाख (चालीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681 दि. 10.06.2015 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

6. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
 7. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
 8. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
 9. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
 10. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
 11. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2016 तक निश्चित रूप से कर देंगे। राशि का प्रत्यर्पण कार्यवार, उप शीर्षवार किया जाय तथा जिस Access No से आवंटन प्राप्त हुआ था उसको भी अंकित करना आवश्यक है।
- नोट :** आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

122

राँची, दिनांक :-

27-11-15

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखण्ड पो.- हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/चाईबासा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

122

राँची, दिनांक :-

27-11-15

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

पत्रांक -

122

/ सैची, दिनांक - 27-11-15

परिशिष्ट - 1

मोंग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना,
लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोगना,
उपशीर्ष-25-भवन/गोदाम एवं कार्यालय निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य (जल संरक्षण)
विरतुत शीर्ष-05-निर्माण 44 लघु निर्माण कार्य,
विपत्र कोड-50P470200796250544
बजट उपबंध (वर्ष 2015-16) रू. 40.00 लाख

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2015 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, चार्डबासा (SGHMMIR002)	सैची	कार्यालय भवन निर्माण कार्य	18/2015-16 dt-20.07.15	111.460	0.000	0.00	25.00	25.00	77440	
योग							0.00	25.00	25.00		

आवंटित राशि - ₹ पच्चीस लाख मात्र।

(अंकार नाथ)

सहायक अभियंता

(मुख्य साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)

प्रधान सचिव